

फर्द अहकाम
पांच्या बनाम सुवा व ऊद

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) आम्हे
केस संख्या 44/2024

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	21/05/25	आज दिनांक 21/05/25 को पत्रावली पेश हुई। अधिवाचक संघ द्वारा आज कन्वोलेंस/कार्य बहिष्कार किये जाने के कारण न्यायिक कार्यवाही नहीं की जा सकी। पी.ओ.सा. अन्य कार्य में व्यस्त/अपस्थित हैं। अतः पत्रावली पूर्णानुसार दिनांक 28/5/25 को पेश की।
	28/5/25	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्त्रागण उच्चतम न्यायालय में उपस्थित। पत्रावली स्वयं की उपस्थित। पत्रावली की शीट से राजीनामा पेश किया गया। प्रस्तुत राजीनामा अनुसार उच्चतम न्यायालय द्वारा वाद प्रस्त सूक्ति कोषांत अर्जित खातेदार (हदावातेदार) काना पुत्र जिला का नाम राजस्व रिकॉर्ड से विलोपित किया जाकर वादी पांच्या पुत्र जिला को जिला पुत्र सूधा के विरासती एक हिस्से का एकल वारिस खातेदार घोषित किए जाते तथा वाद अधीन खाता सं. 25 के अन्तर्गत सूक्ति में वादी का एक हिस्सा 1/3 प्रतिवादीगण सं. 01 व 02 का संयुक्त हिस्सा 1/3 व प्रतिवादी सं. 03 का एक हिस्सा 1/3 अर्जित घोषित किए जाते बाबत हदमाती चक्र की शीट की प्रस्त राजीनामा पत्रावली को पढ़कर सुनाया गया। पत्रावली द्वारा राजीनामा की शर्तों को पढ़कर उक्त शर्तों को पूर्णतः सही व सुव्यवस्थित में पेश स्वीकार किया गया है तथा राजीनामा को पढ़कर न्यायालय द्वारा उक्त राजीनामा तथा आदेशिका पर हस्ताक्षर की/अर्जित किया गया है तथा पत्रावली

R.T. (निर्वाह)
Inch. Bg.
AA (निर्वाह)
(US ARK-200)
R.T. (निर्वाह)
अ-निर्वाह
(निर्वाह)
अ-निर्वाह
(निर्वाह)
T.O.
R.S. (निर्वाह)
28/5/25

P.T.O.

फर्द अहकाम
पांच्या बनाम सुवा व ऊद

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) आम्हे
केस संख्या 44/2024

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	28/5/25	की पहचान पत्रावली के अधिवक्त्रागण द्वारा व्यक्त की गई है एवं पत्रावली द्वारा स्वयं के पहचान पत्रावली की हस्ताक्षरित प्रति की प्रस्त की गई है। अतः प्रस्त राजीनामा तस्वीर किया जाकर मुलाविद राजीनामा वाद वादी खेती किया जाकर वाद जाम कवरपुरा तस्वीर को जिला जयपुर स्थित वाद अधीन खाता सं. 25 के अन्तर्गत अर्जित खातेदार। हदावातेदार काना पुत्र जिला हिस्सा 1/2 एवं राजस्व खाता सं. 26 के अन्तर्गत अर्जित खातेदार काना पुत्र जिला हिस्सा 1/6 को वादी पांच्या पुत्र जिला के पत्रावली में विलोपित किए जाते तथा तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड के आकलन द्वारा शीट का कर्षण किया जाता है तथा साथ ही उक्त राजस्व खाता सं. 25, 26 के अन्तर्गत अर्जित सूक्ति में वादी पांच्या पुत्र जिला को 1/3 हिस्से का प्रतिवादीगण सं. 01 व 02 को 1/3 हिस्से (संयुक्त) का प्रतिवादी सं. 03 को 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर तदनुसार इन्डिया सुल्लि की शीट का कर्षण किया जाता है। पत्रावली सुनाया गया। पत्रावली पेश की जाती होकर पत्रावली उक्तल सुनाए होकर राजीनामा से एक है। वाद तस्वीर दाखिल अर्जित है।